



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2068/2026

रेनू भारती

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी., प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार यादव, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा की दलीलें सुनीं।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें बलिया जिले के बेरुआबाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदात्मक ब्लॉक सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक (बी.सी.पी.एम.) के पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, अब बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.02.2026 को विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसके बाद दिनांक 05.02.2026 को एक परिणामी आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता का तबादला बलिया के सोहानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उनका तबादला नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वे संविदात्मक पद पर कार्यरत हैं। इसके लिए उन्होंने 29.08.2023 को रिट याचिका संख्या 14433/2023 में दिए गए फैसले, सालिनी कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले का हवाला दिया है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित श्री प्रांजल मेहरोत्रा ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है। स्पष्टतः, याचिकाकर्ता का तबादला कर दिया गया है, हालांकि वह संविदा कर्मचारी होने का दावा करता है। सालिनी कुमारी (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:-

"1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के मिशन निदेशक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निदेशक द्वारा दिनांक 18.08.2023 को जारी एक परिपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें दिनांक 10.07.2023 को जारी पूर्व नोटिस/परिपत्र को दोहराया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में तबादला नीति पर पहले ही रोक लगा दी गई है और इसकी सूचना दिनांक 24.07.2020 के कार्यालय पत्र के माध्यम से सभी संबंधितों को दी जा चुकी है। साथ ही, उत्तर प्रदेश राज्य के मिशन निदेशक के अधीन कार्यरत सभी जिला मजिस्ट्रेटों/जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्षों को दिनांक 18.08.2023 को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि संविदा आधार पर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कार्यरत ऐसे कर्मचारियों का तबादला उस स्थान से दूसरे स्थान पर न किया जाए, जिस स्थान के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। दिनांक 18.08.2023 का परिपत्र पत्र नीचे दिया गया है:

"प्रेषक,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,

उ०प्र०।

पत्रांक: 10/एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एच०आर०/विविध/2023-24/4157 दिनांक 18.08.2023

विषय :- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव संसाधन नीति, डैप-गाइडलाइन तथा विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों की उपेक्षा

विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव संसाधन नीति के चैप्टर-10 जोकि Separation and Exit Formalities से संबंधित है जिसके अन्तर्गत संस्था से अलग होने व सेवा समाप्ति से सम्बन्धित दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं एवं मानव संसाधन नीति के अन्य दिशा-निर्देश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में प्रायः संज्ञान में आया है कि मानव संसाधन नीति में प्रेषित दिशा निर्देशों तथा पत्र संख्या-197/एस०पी०एम०यू०/ डैप-एच०आर०/ जी०आर०सी०/ 2018-19/12394-75 दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा कार्य में अनिमित्यता पाये जाने के विरुद्ध प्रेषित प्रक्रिया की उपेक्षा कर कतिपय जनपदों द्वारा संविदा कर्मियों के सेवा समाप्ति का निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्तावित किये बिना ही ले लिया जाता है, व सम्बन्धित कर्मियों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता, जोकि नियमों के विरुद्ध है।

उक्त के क्रम में आपसे आपेक्षित है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति किये जाने से पूर्व, निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना तथा सम्बन्धित कर्मियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायें, यदि उक्त के उपरान्त भी साक्ष्य एवं नियमों के आधार पर किसी संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति की जाती है तो उक्त हेतु उचित आदेश तथ्यों सहित सम्बन्धित को निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध नोटिस संख्या: 150/ एस०पी०एम०यू०/ डैप-एच०आर०/ 2020-21/1628 दिनांक 10.07.2020 माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू स्थानांतरण नीति आगामी वित्तीय वर्षों हेतु तक स्थगित की चुकी है। उपरोक्त सूचना कार्यालय ज्ञाप संख्या: 150/एस०पी०एम०यू०/डैप- एच०आर०/स्था०/

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2020-21/1909-11 दिनांक 24.07.2020 के माध्यम से समस्त सम्बंधित अधिकारियों को भी प्रेषित की गयी है।

परन्तु प्रायः संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा बिना किसी आधार पर कर्मियों का स्थानान्तरण कर दिया जाता है जोकि नियम विरुद्ध है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपदों द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की जिम्मेदारी राज्य द्वारा व्यहृत नहीं की जायेगी तथा उक्त के सम्बन्ध में यदि कोई न्यायिक कार्यवाही होती है तो जनपद स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होगा। उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि समय-समय पर जनपद में कार्यरत कर्मियों के कार्य की समीक्षा की जाये तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत जनपदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव नीति, डैप-गाइडलाइन एवं अन्य पत्रों के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि। भवदीया,

ह०अप०

(डा०पिंकी जोवल)

मिशन निदेशक

2. मिशन निदेशक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय के तत्वावधान में स्वास्थ्य मिशन परियोजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के तबादलों के लिए अब संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, मैं दिनांक 20.07.2023 के आदेश को उचित नहीं मानता/मानती हूँ।

4. इस स्तर पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता और अन्य ऐसे कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 20.07.2023 का आदेश वापस ले लिया गया है और उन्हें भविष्य में अपने आचरण और व्यवहार में सुधार करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एटा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 03/04.08.2023 को पारित आदेश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन कर्मचारियों का तबादला किया गया था, वे अपने कर्तव्यों का संतोषजनक निर्वहन नहीं कर रहे थे और तदनुसार उन्हें अपने कार्य में सुधार करने की चेतावनी जारी की गई थी, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

5. अतः, न्यायालय का यह मत है कि विवादित आदेश के संबंध में कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों में कार्यरत सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें मिशन निदेशक के दिनांक 10.07.2020, 24.07.2020 और 18.08.2023 के परिपत्रों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जो मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

6. इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह याचिका निपटाई जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. रजिस्ट्रार (अनुपालन) इस आदेश की सूचना आवश्यक अनुपालन के लिए 24 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के प्रधान सचिव को दें।”

5. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:-

(क) बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.02.2026 को जारी आदेश रद्द किया जाता है।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

एन.एस.राठौर

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”